


29/11/15 न्यायालय प्रीमानु ~~अपर कलेक्टर महोदय सीधी~~ सीधी तंभाग सीधी, मंडल न्यायालय सीधी  
 सीधी तंभाग सीधी म090

R5254-II/15



निगरानी पुकरण क्रमांक - - - - - /2015-16

- 1 - विनोद कोल पिता रोडोश्याम कोल
- 2 - रामनरेश कोल पिता रामवरण कोल

R2-301-

दोनो निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील गोपदबनात जिला सीधी  
 म090 - - - - - निगरानीकर्तागण

बनाम,

- 1- रामनिवास साहू तनय जयलालसाहू साकिन शिवपुरवा तहसील गोपदबनात जिला सीधी म090
- 2- सुशो रजवंती देवा पत्नी दुलारे साहू
- 3- राजमणि साहू पिता भगोले साहू
- 4- विशाले साहू तनय दुलारे साहू
- 5- सुन्ना उर्फ लालबिहारी साहू पिता भगोले साहू

समी निवासी ग्राम धवई तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म090

- - - - - अनावेदकगण

आमिषुवाश पाण्डेय एडवोकेट  
 22-12-15  
 सीधी मंडल न्यायालय  
 सीधी तंभाग सीधी

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय प्रीमानु अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला सीधी म090 पुकरण क्रमांक- 26/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2015,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म090मू रा0सं01959

मान्यवर,

आवेदकगण को ओर से निम्नांकित पुनरनिरीक्षण प्रस्वत है :-

1/ यहकि प्रस्वत की जा रही निगरानी के निराकरण हेतु तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निवेदित किया जाना आवश्यक है जो निम्नवत निवेदित है :-

m

mm



Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5254-II / 15

जिला-सीधी

विनोद कोल / रामनिवास साहू

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 26/निग0/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p> <p style="text-align: right;">  </p>	